

1. स्टोन क्रेशर का नाम या भागीदारों का नाम परिवर्तन-प्रत्येक हेतु रु0 2.00लाख।
2. स्कीनिंग प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन-प्रत्येक हेतु रु0 1.00 लाख।

- प्लान्ट का नये स्थान पर स्थानान्तरण**
18. पूर्व से स्वीकृत एवं स्थापित ऐसे प्लान्ट, जो वर्तमान नीति के मानक पूर्ण नहीं करते हैं या कतिपय अन्य कारणों से यदि प्लान्ट का स्थानान्तरण नये अन्यत्र स्थान पर करना चाहता है तथा प्रस्तावित नवीन स्थल नीति में निर्धारित क्षेत्रफल एवं दूरी के मानकों के अनुरूप है, तो प्लान्ट स्वामी के अनुरोध पत्र के क्रम में जिला स्तर पर गठित समिति की आख्या तथा जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर प्लान्ट के स्थानान्तरण हेतु अनुमति शासन द्वारा पूर्व में स्वीकृत अनुज्ञा की अवशेष अवधि हेतु प्रदान की जायेगी। इस हेतु प्लान्ट स्वामी को कोई शुल्क देय नहीं होगा।

अध्याय-II. मोबाईल स्टोन क्रेशर एवं मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट की स्वीकृति एवं नवीनीकरण

- आवेदन**
19. प्लान्ट की स्थापना एवं प्लान्ट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यालयी संस्थाओं अथवा उनके अनुबंधित ठेकेदारों द्वारा निर्धारित प्रपत्र अनुसूची-5 में वर्णित अभिलेखों एवं अध्याय-2 में निर्धारित आवेदन शुल्क सहित भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जिला कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिला खान अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त आवेदन पत्र अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा।
 20. मोबाईल स्टोन क्रेशर एवं मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट हेतु अनुज्ञा शुल्क निम्नवत होगा :-
 रु0 25,000 हजार (क्षमता 10 टन प्रतिघंटा या उससे कम हेतु)
 रु0 50,000 हजार (क्षमता 10 टन प्रतिघंटा से अधिक एवं 25 टन प्रतिघंटा से कम हेतु)
 रु0 1.00 लाख (क्षमता 25 से 50 टन प्रतिघंटा हेतु)
 रु0 2.00 लाख (क्षमता 50 टन प्रतिघंटा से अधिक हेतु)
- आवेदन पर आपत्तियों का निराकरण**
21. मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट के संचालन से पूर्व सम्बन्धित आवेदक के द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में इस आशय की विज्ञापि प्रकाशित की जायेगी कि यदि किसी स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं को आपत्ति है, तो वे अपनी आपत्ति लिखित रूप में सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय तथा भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जिला स्तरीय कार्यालय में प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर दर्ज कराये। यदि विज्ञापि प्रकाशन के 15 दिन के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जायेगा कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है एवं तदनुसार जिलाधिकारी के द्वारा अनुमति के संबंध में गुण दोष के आधार पर निर्णय लेकर अनुज्ञा प्रदान की जायेगी। यदि स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं से कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो उस दशा में जिलाधिकारी के द्वारा आवश्यक जांच कराते हुए गुण-दोष के आधार पर प्लान्ट के संचालन के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।
 22. (1) मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट स्थल पर (on site) स्थापना के सम्बन्ध में आवेदित स्थल की जांच सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

प्रशान्त नेक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्याग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

Y

- (2) मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट हेतु राजकीय निर्माण परियोजना प्रबंधक/राजकीय कार्यदायी संस्था के द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म कार्यालय को खनन सत्र में क्रशड किये जाने हेतु प्रस्तावित उपचानिज के श्रोत एवं मात्रा के सम्बन्ध में लिखित रूप से सूचित किया जायेगा।
- (3) मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्टों पर भी धूल के उत्सर्जन एवं धनि प्रदूषण संबंधी वही मानक लागू होंगे, जो स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लान्टों पर लागू हैं।
- (4) प्लान्ट स्थापना हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु अधिनियम, 1981, जल अधिनियम, 1974 एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमों के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
- (5) राज्य में उपचानिजों के छोटे लॉटों/पट्टों में मूल्य संवर्धन (Value addition) के उद्देश्य से खनन क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र में मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट स्थल पर (on site) स्थापित कर संचालन किया जायेगा।
- (6) मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट स्थल पर (on site) स्थापना एवं संचालन हेतु नदी से दूरी के मानक में शिथिलता रहेगी तथा आवादी आदि से दूरी के मानक वही रहेंगे, जो संबंधित क्षेत्र हेतु नीति में निर्धारित है।
- (7) प्लान्ट संचालन तथा प्लान्ट के परिसर में कच्चे माल एवं तैयार माल के भण्डारण की स्वीकृति उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी की संस्तुति के आधार पर अधिकतम एक वर्ष अथवा परियोजना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, के लिए जिलाधिकारी द्वारा साथ-साथ स्वीकृत की जायेगी।
परन्तु यह कि, मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट केवल सरकारी संस्थाओं को सरकारी निर्माण कार्यों हेतु अधिकतम 01 वर्ष की अवधि के लिये अथवा परियोजना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, स्वीकृत किये जायेंगे।
- (8) पूर्व से स्थापित मोबाईल स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट पर इस नीति के विनियमितीकरण प्रावधान उपरोक्तानुसार लागू होंगे।
- (9) मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा कशड एवं उपयोग में लाये गये मैट्रियल का लेखा-जोखा निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह संबंधित खान अधिकारी को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा।

- नवीनीकरण**
23. (1) मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट हेतु नवीनीकरण शुल्क अध्याय-II में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के बराबर होगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक "0853 अलौह धातुकर्म एवं खनन उद्योग" में जमा कराया जायेगा।
- (2) मोबाईल स्टोन केशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट का नवीनीकरण अपरिहार्य परिस्थितियों में एक वर्ष की अवधि अथवा परियोजना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, संबंधित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

नाम परिवर्तन / 24.
भागीदारों के
नाम परिवर्तन/
/अनुज्ञा
हस्तान्तरण:

मोबाईल स्टोन केशर/ मोबाईल स्कीनिंग प्लांट का नाम व प्लान्ट स्वामी के नाम का परिवर्तन या पार्टनरों के नाम जोड़ने व घटाये जाने/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवेदन आवश्यक अभिलेखों एवं निम्न अनुमति शुल्क सहित जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर सम्बन्धित प्लान्ट का नाम/प्लान्ट स्वामी का नाम/पार्टनरों के नाम जोड़ने या घटाने हेतु अनुमति, जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी। इस हेतु अनुमति शुल्क निम्नानुसार देय होगा:- इस हेतु अनुमति शुल्क निम्नानुसार देय होगा:-

1. मोबाईल स्टोन केशर का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन – प्रत्येक हेतु रु0 50,000/-
2. मोबाईल स्कीनिंग प्लांट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन – प्रत्येक हेतु रु0 25,000/-

अध्याय-III. हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट

आवेदन 25.

हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट के स्थापना एवं प्लान्ट में पक्के माल के भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु आवेदन अनुसूची-6 में वर्णित अभिलेखों एवं शुल्क सहित संबंधित जिला खान अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

जिला खान अधिकारी अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त जिलाधिकारी को स्पष्ट संस्तुति सहित अग्रसारित किया जायेगा।

अनुज्ञा शुल्क 26.

अनुज्ञा शुल्क रु0 25000/-

अनुज्ञा स्वीकृति 27.

1. जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी जॉच आख्या प्राप्ति के उपरान्त प्लान्ट एवं प्लान्ट परिसर में पक्के माल के भण्डारण की स्वीकृति याचित परियोजना अवधि अथवा दो वर्ष जो भी कम हो, हेतु की जायेगी।

हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट में भण्डारण एवं सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी, जो उपजिलाधिकारी से न्यून न हो अथवा महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

नवीनीकरण 28.

हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट हेतु नवीनीकरण शुल्क अध्याय-III में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के बराबर होगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक "0853 अलौह धातुकर्म एवं खनन उद्योग" में जमा कराया जायेगा।

हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट का नवीनीकरण उप जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी/महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा 02 वर्ष या याचित अवधि जो भी कम हो, के लिए की जायेगी।

अन्य शर्तें 29. (1)

प्लाट की स्थापना एवं संचालन हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (Consent to establish) एवं संचालनार्थ सहमति (Consent to operate) की अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

*प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
दहरादून*

- (2) प्लान्ट को ई-रवना पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- (3) प्लान्ट स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु अधिनियम, 1981, जल अधिनियम, 1974 एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमों के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा-गिर्दशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।

नाम परिवर्तन/ 30.
भागीदारों के नाम परिवर्तन/
/अनुज्ञा
हस्तान्तरण:

हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स (आर०एम०सी०) प्लान्ट का नाम व प्लान्ट स्वामी के नाम का परिवर्तन या पार्टनरों के नाम जोड़ने व घटाये जाने/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवेदन आवश्यक अभिलेखों एवं निम्न अनुमति शुल्क सहित जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर सम्बन्धित प्लान्ट का नाम/प्लान्ट स्वामी का नाम/पार्टनरों के नाम जोड़ने या घटाने हेतु अनुमति जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी। इस हेतु अनुमति शुल्क निम्नानुसार देय होगा:-

1. हाटमिक्स प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन – प्रत्येक हेतु रु० 50,000/-
2. रेडिमिक्स (आर०एम०सी०) प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन – प्रत्येक हेतु रु० 50,000/-

अध्याय-IV. पल्वराईजर प्लान्ट की स्थापना एवं परिसर में खनिज सोपस्टोन के भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति व नवीनीकरण

आवेदन 31.

पल्वराईजर प्लान्ट की स्थापना एवं प्लान्ट परिसर में खनिज सोपस्टोन के भण्डारण हेतु आवेदन अनुसूची-7 में उल्लिखित प्रपत्र पर आवेदन शुल्क एवं वर्णित अभिलेखों सहित पांच प्रतियों में संबंधित जिले के भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिला खान अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा।

आवेदन शुल्क 32.

पल्वराईजर प्लान्ट हेतु आवेदन शुल्क रु० 1.00 लाख होगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जाना होगा।

स्थल चयन 33.
समिति

पल्वराईजर प्लान्ट की स्थापना हेतु आवेदित स्थल की जाँच उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी की गठित समिति के द्वारा किया जायेगा।

अनुज्ञा देने हेतु 34.
शर्तें

(क) पल्वराईजर प्लान्ट की स्थापना हेतु न्यूनतम 0.20 एकड़ क्षेत्रफल आवश्यक होगा।

(ख) पल्वराईजर प्लान्ट की स्थापना, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, नर्सिंग होम, सार्वजनिक धार्मिक स्थल से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी पर स्थापित किया जायेगा।

(ग) पूर्व से स्थापित/संचालित पल्वराईजर प्लान्ट पर दूरी एवं क्षेत्रफल के मानक लागू नहीं होंगे।

(घ) प्लान्ट की स्थापना एवं संचालन से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (Consent to

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निवेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

4/

establish) एवं संचालनार्थ सहमति (Consent to operate) की अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

(ड) प्लांट स्वामी को ई-रवन्ना पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना अपरिहार्य होगा।

अनुज्ञा स्वीकृति 35.

पल्वराईजर प्लांट की स्थापना/संचालन तथा प्लांट परिसर में खनिज सोपरस्टोन, लाईमस्टोन आदि के भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति गठित समिति की आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु एक साथ प्रदान की जायेगी।

पूर्व में स्थापित/संचालित ऐसे पल्वराईजर प्लान्ट, जिनके द्वारा अनुज्ञा प्राप्त नहीं की गयी है, को भी इस नीति के तहत अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

पूर्व से स्थापित एवं संचालित प्लांटों पर इस नीति में निर्धारित दूरी एवं क्षेत्रफल के मानक लागू नहीं होंगे।

नवीनीकरण

36. पल्वराईजर प्लांट एवं परिसर में खनिज सोपस्टोन लाईमस्टोन आदि के भण्डारण अनुज्ञा के नवीनीकरण हेतु आवेदक द्वारा प्लांट की स्वीकृत अवधि की समाप्ति से छः माह पूर्व आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क ₹0 1.00 लाख का कोषागार चालान जमा के साथ आवेदन, जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा जिसे परीक्षण कर जिला खान अधिकारी अपनी स्पष्ट संस्तुति के साथ जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा। उप जिलाधिकारी व जिला खान अधिकारी की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति के उपरान्त प्लांट एवं परिसर में खनिज सोपस्टोन, लाईमस्टोन आदि के भण्डारण अनुज्ञा का नवीनीकरण शासन द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु एक साथ प्रदान की जायेगी।

नाम परिवर्तन/ भागीदारों के नाम परिवर्तन/ /अनुज्ञा हस्तान्तरण:

37. पल्वराईजर प्लान्ट का नाम व प्लान्ट रखामी के नाम का परिवर्तन या पार्टनरों के नाम जोड़ने व घटाये जाने/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवेदन आवश्यक अभिलेखों एवं निम्न अनुमति शुल्क सहित जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर सम्बन्धित प्लान्ट का नाम/प्लान्ट स्वामी का नाम/पार्टनरों के नाम जोड़ने या घटाने हेतु अनुमति शासन द्वारा प्रदान की जायेगी। इस हेतु अनुमति शुल्क निम्नानुसार देय होगा:-

पल्वराईजर प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन प्रत्येक हेतु -₹. 50,000/-

विविध

38. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांटों प्रोसेसिंग यूनिट मानते हुए उत्पादित उपखनिज एक श्रेणी में होने के कारण प्लांट संचालकों को उत्पादित/विक्रय की गयी मात्रा तथा हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट में प्रयोग हेतु क्रय किये गये उपखनिज (ग्रिट आदि) की मात्रा पर पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क ₹0 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक-0853 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

39. (1) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी एवं महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति-युक्त

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।

मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/हॉट मिक्स प्लांट/रेडिमिक्स प्लांट को नीति के विपरीत कार्य करने पर स्वीकृता अधिकारी द्वारा सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।

- (2) यदि स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्वीकृति शासन द्वारा निर्गत किये जाने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर प्लांट की स्थापना नहीं की जाती है, तो जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा अनुज्ञा धारक को युक्ति-युक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अनुज्ञा निरस्त किये जाने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।
- (3) स्थापित एवं संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों का प्रतिवर्ष (कम से कम एक बार) आधुनिक ड्रोन के माध्यम से सर्वे महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जाएगा तथा अनियमितता पाये जाने पर सुसंगत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- (4) नये प्लान्ट की स्थापना, नवीनीकरण एवं प्लान्ट के नाम/भागीदार परिवर्तन/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवश्यक खनन अदेयता प्रमाण पत्र यदि आवेदक इकाई के विरुद्ध अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन से सम्बन्धित अधिरोपित अर्थदण्ड के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में वाद/अपील विचाराधीन हैं तथा इस हेतु आवेदक/भागीदारों के द्वारा वाद/अपील में पारित अन्तिम निर्णय का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किये जाने सम्बन्धी नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने पर खनन अदेयता प्रमाण पत्र महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा उक्त शर्तों के अधीन निर्गत किया जायेगा।

अध्याय-V. राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं के सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों हेतु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट की स्वीकृति :-

आवेदन 40.

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र अनुसूची-8 में आवेदन करने पर संबंधित परियोजना अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों को परियोजना की अवधि अथवा याचित अवधि, जो भी न्यून हो, तक महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र अनुसूची-8 में आवेदन करने पर संबंधित परियोजना के सरकारी कार्यदायी संस्था अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों को परियोजना की अवधि अथवा याचित अवधि, जो भी न्यून हो, तक संबंधित जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

स्थल चयन 41.
समिति

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों से स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आवेदित स्थल की निम्नानुसार गठित तकनीकी समिति से संयुक्त निरीक्षण आख्या महानिदेशक,

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
उद्यग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राप्त की जायेगी :-

i	महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा नामित अपर निदेशक / संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी	संयोजक
ii	प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी	सदस्य
iii	प्रमुख मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी	सदस्य
iv	प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित वन संरक्षक स्तर का अधिकारी	सदस्य
v	संबंधित जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी	सदस्य
vi	अभियन्ता (सिविल), रेल विकास निगम।	सदस्य
vii	क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।	सदस्य

उक्त तकनीकी समिति आवश्यकतानुसार विभागीय अधिकारियों एवं विशेषज्ञों को विशेष आमंत्री के रूप में आबद्ध कर सकेगी।

मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र अनुसूची-8 में जिलाधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने पर जिला स्तर पर गठित समिति की स्थलीय निरीक्षण कर आख्या / संस्तुति संबंधित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

अनुज्ञा स्वीकृति 42.

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के क्रम में उपरोक्तानुसार गठित समिति द्वारा स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट प्लांट तथा प्लांट परिसर में उपखनिज के भण्डारण हेतु प्रस्तावित भूमि की उपयुक्तता के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षणोंपरान्त अपनी संयुक्त निरीक्षण आख्या महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रेषित की जायेगी तथा महानिदेशक की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट की अनुज्ञा 05 वर्ष की अवधि अथवा परियोजना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, अनुज्ञा स्वीकृत की जायेगी।

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के क्रम में जिला स्तर पर गठित समिति की स्थलीय निरीक्षण कर आख्या / संस्तुति के आधार पर 01 वर्ष की अवधि अथवा परियोजना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, अनुज्ञा संबंधित जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा परियोजनाओं के विभिन्न टनलों/निर्माण स्थलों से निकलने वाले उपखनिज Muck में

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
मुख्यालय उत्तराखण्ड
दहरादून

से उपयोगार्थी उपखनिज (Usable material) की मात्रा उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के नियमानुसार निर्गत स्वीकृति एवं रिवर ट्रेनिंग के अन्तर्गत प्राप्त अनुज्ञाप्ति में स्वीकृत मात्रा) को स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट में उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल की आपूर्ति किये जाने वाले स्रोत (Source of Raw Material) के रूप में मान्य होगा।

- मानक एवं
अन्य शर्तें**
43. (1) हॉट मिक्स प्लांट एवं रेडिमिक्स प्लांट हेतु राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा स्वीकृत स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांटों से तैयार माल स्रोत (Source of Material) के रूप में मान्य होगा।
- (2) राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा स्वीकृत प्लांटों का पंजीकरण विभागीय ई-रवन्ना पोर्टल पर कराया जाना अनिवार्य होगा।
- (3) वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 09 जून 2021, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु संरक्षण अधिनियम, 1981, जल संरक्षण अधिनियम-1974 एवं संगत नियमावलियों तथा मा० न्यायालयों, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- (4) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट संयंत्र (Equipment) को परिसर की चाहरदीवारी/कवर्ड फेसिंग (Boundary wall)/Covered Fencing) के अन्दर स्थापित करेगा। स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट इकाई के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण किया जाना होगा, जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊंचाई से कम से कम 01 मी० ऊँची होगी, जिससे धूल कण आदि परिसर से बाहर न आएं। कच्चे माल/तैयार माल के भण्डारण की ऊंचाई निर्धारित मानक से अधिक होने पर स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी पर ३ दो लाख तक का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो निर्धारित खनिज लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।
- (5) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट को कवर्ड शैड (Covered shed) के अन्दर स्थापित करना होगा। धूल जनित बिन्दुओं पर फब्बारे (Water sprinklers) लगाने होंगे।
- (6) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।
- (7) संचालक द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि धूल हवा में न उड़े।
- (8) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की सघन हरित पट्टी, जो न्यूनतम तीन परतों में हो, का विकास कर उनको संरक्षित करना होगा। यह



प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकमें इकाई
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संयत्र चालू करने के 06 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कर ली जायेगी।

- (9) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट/हॉट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु अधिनियम, 1981, जल अधिनियम, 1974 एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमों के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
- (10) सम्पूर्ण क्रशिंग, स्क्रीनिंग, कन्वेयर आदि धूल जनित बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार फब्बारे (Water sprinklers) की स्थापना की जाय, जिससे धूल कणों का विसर्जन कम से कम हो।
- (11) फब्बारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा पाईप लाईंस की स्थापना की जाये ताकि फब्बारों में आवश्यकतानुसार जल-दाब बना रहे।
- (12) कवर्ड टिन शेड में धूल कणों के निष्कासन हेतु डिकिटंग सिरटम स्थापित किया जाये, जिसकी आई0डी फेन के माध्यम से स्क्रिंग की जाय। स्क्रिंग में प्रयुक्त जल को सेटलिंग टैंक के माध्यम से रिसाईकिल किया जाये।
- (13) स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वीकृति से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (Consent to establish) तथा प्लान्ट स्वीकृति के उपरान्त प्लान्ट संचालन से पूर्व संचालनार्थ सहमति (Consent to operate) लिया जाना अपरिहार्य होगा।
- (14) मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्टों में धूल के उत्सर्जन एवं ध्वनि प्रदूषण संबंधी वही मानक लागू होंगे, जो स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्टों पर लागू हैं।

नीति का
स्पष्टीकरण 44.

इस नीति में किये गये प्रावधान का कोई भी स्पष्टीकरण (Clarification) करने का अधिकार शासन में निहित होगा।

आज्ञा से,

 (आरो मीनाक्षी सुन्दरम्)
 सचिव।


 प्रशासनिक अधिकारी
 उत्तराखण्ड एवं खनिकर्म इकाई
 उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
 देहरादून

स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट की स्थापना तथा प्लांट परिसर में खनिज भण्डारण हेतु आवेदन पत्र का ग्राहक
अनुसूची-1

(06 प्रतियों में)

सेवा मे,

जिला खान अधिकारी, भूत्तव एवं खनिकर्म इकाई, जिला..... महोदय,	आवेदन प्राप्ति का दिनांक..... ।
--	---

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन केशर एवं स्कीनिंग प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अधीन नये स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुमति प्रदान की जाय।

- 1- स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट का नाम:-
.....।
- 2- स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):-
पता-.....
मोबाईल नं-.....
ई-मेल आईडी-.....
- 3- आवेदित स्थल का विवरण –
जिला.....
तहसील.....
ग्राम.....
खसरा संख्या
- 4- प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घंटा)
- 5- अधिकृत परामर्शदाता/आर्किटेक्ट द्वारा आवेदित स्थल (जिसमें नीति में निर्धारित मानकों के अनुरूप समर्त आवश्यक संरचनाओं यथा हरित पट्टिका, आवागमन हेतु मार्ग, कार्यालय, धर्मकांटा व भण्डारण स्थल आदि का क्षेत्रफल मानचित्र पर प्रदर्शित हो) की प्रमाणित प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति.....।
- 6- प्लांट परिसर में प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन मे).
.....।
- 7- अनुज्ञा शुल्क का विवरण :- चालान सं-..... धनराशि..... दिनांक.....।
- 8-अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है.....।
- 9-यदि आवेदक एक व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता

प्रशासनिक अधिकारी,
 भूत्तव एवं खनिकर्म इकाई,
 उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
 देहरादून।

- 10- फर्म/कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता..... |
- 11-आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति..... |
- 12-यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के विधिवत रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डील की प्रति या मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति |
- 13-आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति |
- 14- आवेदक/फर्म/कम्पनी के सभी भागीदारों का स्थायी निवास प्रमाण-पत्र की प्रति..... |
- 15- आवेदक अथवा उसके भागीदार के भूस्वामी न होने पर संबंधित स्थल के भूमिधर/भूमिधरों के साथ आवेदक का विधिवत पंजीकृत पट्टा विलेख प्लान्ट की प्रति |
- 16- स्थानीय समाचार पत्र में प्रभावित व्यक्तियों की अनापत्ति के संबंध में प्रकाशित विज्ञापन की प्रति..... |
- 17- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति..... |
- 18- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति..... |
- 19- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति
- 20 -आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी बैंक में बंधक हो, तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति.. |
- 21- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का जी०एस०टी० नम्बर की प्रति..... |
- 22- प्लान्ट में कच्चे माल की आपूर्ति के श्रोत के संबंध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति..... |
- 23- प्लान्ट परिसर में धर्मकांटा तथा भण्डारण स्थल, प्रवेश एवं निकासी गेटों पर सी०सी०टी०वी० कैमरा, जो कि निरन्तर संचालित रहेंगे, लगाये जाने की बाध्यता के संबंध में नोटराईज्ड शपथ पत्र..... |
- मैं/हम एतद्वारा घोषण करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक.....

आवेदक का हस्ताक्षर।

प्रशासनिक अधिकारी, कार्ह,
भूता
उद्योग
देहरादून।

स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर मे खनिज भण्डारण अनुज्ञा सम्बन्धी संयुक्त निरीक्षण
आख्या का प्रारूप
(अनुसूची-2)

1. स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लान्ट का नाम:-.....|
2. स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लान्ट स्थामी का नाम व पता (निजी व्यवित/फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):-.....|
3. स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लान्ट स्थल का विवरण -.....|

ग्राम	तहसील	ज़िला	खसरा सं0	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5

4. स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन/प्रति घंटा).....|
5. आवेदक शुल्क का विवरण:-

चालान सं0	धनराशि	दिनांक

6. आवेदक का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र के सम्बन्ध मे टिप्पणी:-
7. आवेदक के स्थायी निवास प्रमाण पत्र के सम्बन्ध मे टिप्पणी:-
8. आवेदक के द्वारा दैनिक समाचार पत्र मे स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं की अनापत्ति के सम्बन्ध मे विज्ञाप्ति प्रकाशन का दिनांक.....|
9. आवेदक द्वारा दैनिक समाचार पत्र मे स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं की अनापत्ति के सम्बन्ध मे प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त प्राप्त आपत्ति का विवरण एवं निस्तारण सम्बन्धी आख्या:-
10. स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लान्ट स्थल के संयुक्त निरीक्षण का दिनांक.....|

✓
 प्रशासनिक अधिकारी,
 भूतत्व एवं खनिजकर्म इकाई,
 ठ्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
 देहरादून।

11. प्रस्तावित संयन्त्र से प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ संलग्न मानचित्र के अनुसार प्लांट के डक स्थल से नीति में निर्धारित दूरी के सापेक्ष वास्तविक दूरी:-

क्र०सं०	स्थान	नीति में निर्धारित दूरी के मानक	मौका निरीक्षण के अनुसार वास्तविक दूरी	टिप्पणी
1.	सरकारी वन			
2.	(क) जिला हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे से			
	(ख) अन्य मैदानी क्षेत्रों हेतु नदी (Perennial river) के किनारे से			
	(ग) Non-Perennial river (वर्षाती नदी, नाला, गधेरा) के किनारे से			
3.	सार्वजनिक धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि)			
4.	स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, या नर्सिंग होम आदि			
5.	आवादी से दूरी			

12. राजस्व विभाग की आख्या :-

(क) प्लांट की स्थापना हेतु आवेदित क्षेत्र का राजस्व अभिलेखानुसार विवरण:-

क्र०सं०	ग्राम	तहसील	खाता सं०	खसरा सं०	भूमि की श्रेणी	भूस्वामी का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टेन में)	भूमि बन्धक होने के सम्बन्ध में टिप्पणी।
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(ख). आवेदक अथवा उसके भागीदार के भूस्वामी न होने पर संबंधित स्थल के भूमिधर/भूमिधरों के साथ आवेदक का नोटराइज्ड शपथ पत्र:-

(ग). आवेदित भूमि के बन्धक मुक्त होने के संबंध में प्रमाण पत्र/नोटराइज्ड शपथ पत्र.....

प्रशासनिक अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिजकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

(घ) प्रस्तावित प्लांट स्थल यदि मा० न्यायालयों/मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेशों से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध मे टिप्पणी:-

13. वन विभाग की आख्या:-

(क) प्रस्तावित प्लांट की सरकारी वन/आरक्षित वन से दूरी:-

(ख) प्रस्तावित प्लांट की नेशनल पार्क/सेंचुरी से दूरी:-

(ग) प्रस्तावित प्लांट स्थल पर विद्यमान वृक्षों का प्रकार व संख्या:-

(घ) प्रस्तावित प्लांट स्थल यदि मा० न्यायालयों/मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेशों से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध मे टिप्पणी:-

14. भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की आख्या :-

1. (क) नीति के अध्याय-I के बिन्दु सं० 4 के अनुसार प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट का क्षेत्रफल (है० मे):-

(ख) प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार प्लान्ट परिसर में प्रस्तावित भण्डारण क्षमता (टन मे).....।

(ग) नीति के अध्याय- I के बिन्दु संख्या 4 (घ) के अनुसार एक समय मे भण्डारण क्षमता (टन मे)-

(घ) नीति के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 4 (ड) के अनुसार प्लांट की वार्षिक क्रशिंग/स्क्रीनिंग क्षमता (टन मे):-
.....।

2. प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट हेतु कच्चे माल के स्रोत के सम्बन्ध मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के सम्बन्ध मे टिप्पणी:-

3 (क). आवेदक द्वारा दैनिक समाचार पत्र मे स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं की आपत्ति के सम्बन्ध मे विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी है अथवा नहीं के सम्बन्ध मे टिप्पणी:-

(ख) आवेदक द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था द्वारा कार्यालय मे आपत्ति प्राप्त हुयी है अथवा नहीं, यदि आपत्ति प्राप्त हुयी है तो उस पर जन सुनवाई की गयी है अथवा नहीं, यदि की गई है तो जन सुनवाई का दिनांक व लिये गये निर्णय के सम्बन्ध मे टिप्पणी:-

4. प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित प्लांट डक स्थल के जी०पी०एस० कॉर्डिनेट्स.....।

5. प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी के नाम पूर्व मे स्वीकृत खनन पट्टा/भण्डारणों मे अर्थदण्ड तो आरोपित नहीं है, यदि है तो पूर्ण विवरण :-

प्रश्नसंबंधित अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

6. प्रस्तावित प्लांट रथल यदि मा० न्यायालयों/मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेशों से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध मे टिप्पणी:-

7. प्लांट की स्थापना/संचालन हेतु रथल के उपयुक्त/अनुपयुक्त होने के सम्बन्ध मे टिप्पणी:-

8. अन्य कोई अभिलेख/शर्तें, यदि आवश्यक हो:-

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना/संचालन के सम्बन्ध मे गठित समिति की संस्तुति:-

(प्रभागीय वनाधिकारी प्रतिनिधि)
वन विभाग,
सदस्य।

(जिला खान अधिकारी)
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
सदस्य सचिव।

(उप जिलाधिकारी)
राजरव विभाग,
अध्यक्ष।

प्रशासनिक अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तरखण्ड,
देहरादून।

स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट एवं प्लान्ट परिसर मे खनिज भण्डारण अनुज्ञा के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप
(अनुसूची-3)।

(03 प्रतियों मे)

सेवा मे,

जिला खान अधिकारी, भूत्तव एवं खनिजकर्म इकाई, जिला.....	आवेदन प्राप्ति का दिनांक.....
---	-------------------------------

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन केशर एवं स्कीनिंग प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अधीन पूर्व से स्थापित/संचालित स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट के नवीनीकरण एवं प्लान्ट परिसर मे खनिज भण्डारण के नवीनीकरण हेतु अनुमति प्रदान की जाय।

1- स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लान्ट का नाम:- |

2- स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):- |

पता—.....
मोबाइल नं-.....
ई-मेल आईडी-.....

3- आवेदित स्थल का विवरण –

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल
.....

4- स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लान्ट स्थापना की स्वीकृति/नवीनीकरण हेतु पूर्व निर्गत आदेश की प्रति |

5- प्लान्ट की क्षमता (टन/घंटा), जिसके लिए नवीनीकरण किया जाना है |

6- अधिकृत परामर्शदाता/आर्किटेक्ट द्वारा आवेदित स्थल (जिसमे नीति मे निर्धारित मानकों के अनुरूप समस्त आवश्यक संरचनाओं यथा हरित पटिका, आवागमन हेतु मार्ग, कार्यालय, धर्मकांटा व भण्डारण स्थल आदि का क्षेत्रफल मानचित्र पर प्रदर्शित हो) की प्रमाणित प्रोजेक्ट रिपोर्ट/मानचित्र की प्रति |


 प्रशासनिक अधिकारी,
 भूत्तव एवं खनिजकर्म इकाई,
 उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
 देहरादून।

7- प्लांट परिसर मे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन मे)..... |

8- आवेदन शुल्क का विवरण (मूल प्रति सहित) :-

चालान सं0	धनराशि	दिनांक

9- पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप मे जमा की गयी धनराशि का विवरण.....

क्र0सं0	स्वीकृत अवधि मे प्रतिवर्ष विक्रय उपखनिज की मात्रा (टन मे)	पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप मे जमा धनराशि (रु0)

10-अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण का नवीनीकरण अपेक्षित है..... |

11-यदि आवेदक एक व्यक्ति अथवा फर्म/कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता

12- आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति..... |

13- यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रति या मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति

14- आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति

15- आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों के स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रति

16- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष मे जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति..... |

17- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति..... |

18- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंध प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति

19- अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन के सम्बन्ध मे यदि कोई अर्थदण्ड अधिरोपित हो तो अधिरोपित धनराशि बकाया न होने अथवा यदि अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन सम्बन्धी प्रकरणों मे अधिरोपित अर्थदण्ड के सम्बन्ध मे प्रकरण विभिन्न न्यायालयों मे विचाराधीन हो तो मा० न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय आदेश की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध मे नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति

20- प्रचलित नीति के अध्याय-I के बिन्दु सं0-6 व अध्याय-III के बिन्दु सं0 2 के अनुपालना के सम्बन्ध मे नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति

प्रशासनिक अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिजकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

21— आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्धसरकारी बैंक में बंधक हो तो, संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति.....

22— प्लांट में कच्चे माल की आपूर्ति के श्रोत के संबंध में अनुबन्ध की नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रति.....।

23— पूर्व से स्थापित प्लांट परिसर में धर्मकांटा तथा भण्डारण स्थल, प्रवेश एवं निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा, जो कि निरन्तर संचालित रहेंगे, लगाये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण रचरूप फोटोग्राफ की सत्यापित प्रति.....।

मैं/हम एतद्वारा घोषण करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक.....

आवेदक का हस्ताक्षर।

प्राक्कल्पिक अधिकारी,
शूत्रत्य एवं खनिजकर्त्ता इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहुदामूल।

स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं प्लांट परिसर मे खनिज भण्डारण अनुज्ञा के नवीनीकरण हेतु संयुक्त निरीक्षण
आख्या का प्रारूप
(अनुसूची-4)

1. स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का नाम:-
2. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी का नाम व पता (निजी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):-
3. स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल का विवरण -

ग्राम	तहसील	जिला	खसरा सं०	क्षेत्रफल

4. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन/प्रति घंटा). |
5. आवेदक शुल्क का विवरण:-

चालान सं०	घनराशि	दिनांक

6. स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल के संयुक्त निरीक्षण का दिनांक..... |
7. भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की आख्या :-

1. (क) नीति के अध्याय-I के बिन्दु सं० 4 के अनुसार प्रस्तावित स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का क्षेत्रफल (है० मे):-.....

(ख) नीति के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 4 (ग) के अनुसार प्लांट परिसर मे खनिजों के भण्डारण हेतु अवशेष क्षेत्रफल(है० मे):-

(ग) प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार अवशेष आवेदित भण्डारण स्थल मे एक समय मे भण्डारण क्षमता (टन मे).....

(घ) नीति के अध्याय- I के बिन्दु संख्या 4 (घ) के अनुसार एक समय मे भण्डारण क्षमता (टन मे)-..... |

(ङ) नीति के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 4 (ङ) के अनुसार प्लांट की वार्षिक क्रशिंग/स्क्रीनिंग क्षमता (टन मे)-.....

2. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा प्लांट मे Tamper Proof इलैक्ट्रोनिक मीटर लगाया गया है अथवा नही..... |

✓
 प्रशासनिक अधिकारी,
 भूतत्व एवं खनिजकर्ज इकाई,
 उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
 देहरादून।

3. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के हैं अथवा नहीं।
4. प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु कच्चे माल का स्रोत के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत नोटराइज्ड शपथ पत्र के सम्बन्ध में टिप्पणी।
5. प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी के नाम पूर्व में स्वीकृत खनन पट्टा/भण्डारणों में अर्थ दण्ड तो आरोपित नहीं है यदि है, तो पूर्ण विवरण अद्यतन स्थिति सहित।
6. (क). स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट, यदि फर्म/कम्पनी हो तो उसके भागीदारों एवं सदस्यों का विवरण:-।
(ख). भागीदारी डीड एवं पंजीकरण दिनांक का विवरण।
7. प्रस्तावित प्लान्ट स्थल यदि मा० न्यायालयों/मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेशों से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी:-
8. सी०सी०टी०वी० संचालन की स्थिति के सम्बन्ध में टिप्पणी।
9. विगत पाँच वित्तीय वर्षों में प्लान्ट स्वामी के द्वारा क्रय-विक्रय किये गये उपखनिज का विवरण:-

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	प्लान्ट की स्वीकृत वार्षिक क्रशिंग क्षमता (टन में)	क्रय	विक्रय

10. पूर्व स्वीकृत अवधि में जमा किये गये पर्यावरणीय एवं खनिज सम्पदा शुल्क का विवरण:-

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत अवधि में प्रतिवर्ष विक्रय उपखनिज की मात्रा (टन में)	पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा धनराशि (रु०)

11. नीति के अध्याय-। के बिन्दु संख्या 7 (1) के अनुसार स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट संयत्र (Equipment) में चाहरदीवारी (Boundary wall) की स्थिति।

12. नीति के अध्याय-। के बिन्दु संख्या 7 (2) के अनुसार स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट इकाई के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊँचाई से कम से कम 01 मी० ऊँची है अथवा नहीं के सम्बन्ध में टिप्पणी।

13. प्लान्ट की स्थापना/संचालन हेतु स्थल के उपयुक्त/अनुपयुक्त होने के सम्बन्ध में टिप्पणी:-

14. प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित प्लान्ट डक स्थल के जी०पी०एस० कॉर्डिनेट्स।

प्रशासनिक अधिकारी,
भूतत्व एवं ऊनिजकर्ज इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

15. अन्य कोई अभिलेख/शर्त, यदि आवश्यक हो:-

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आख्या:-

1. स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट संयत्र (Equipment) मे चाहरदीवारी (Boundary wall) की स्थिति.....।
 2. स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट इकाई के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण जो उपखनियों के भण्डारण की ऊंचाई से कम से कम 01 मी० ऊंची है अथवा नहीं के सम्बन्ध मे टिप्पणी।
 3. पूर्व से स्थापित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट मे धूल के कणों SPM (Suspended Particulate Matter) का उत्सर्जन $600 \mu\text{g}/\text{m}^3$ से कम है अथवा नहीं के सम्बन्ध मे टिप्पणी।
 4. पूर्व से स्थापित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट मे Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 मे निर्धारित मानकों के अनुरूप होने अथवा न होने के सम्बन्ध मे टिप्पणी।
 5. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/कन्वेयर बैल्ट आदि को covered shed के अन्दर स्थापित किया गया है अथवा नहीं के सम्बन्ध मे टिप्पणी।
 6. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पकड़े हैं अथवा नहीं.....।
 7. सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था की गयी है अथवा नहीं.....।
 8. पूर्व से स्थापित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की सघन हरित पट्टीका का निर्माण किया गया है अथवा नहीं के सम्बन्ध मे टिप्पणी।
 9. सम्पूर्ण क्रशिंग, स्क्रीनिंग, कन्वेयर आदि धूल जनित बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार Water sprinklers फबारे की स्थापना की गयी है अथवा नहीं.....।
 10. फबारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा पाईप लाईन्स की स्थापना की गयी है अथवा नहीं.....।
 11. कवर्ड टिन शेड में धूल कणों के निष्कासन हेतु डिकिंग सिस्टम स्थापित की गयी है अथवा नहीं.....।
 12. उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to establish जारी किये जाने की तिथि..... तथा अन्तिम Consent to Operate की तिथि.....।
 13. प्रस्तावित प्लान्ट स्थल यदि मा० न्यायालयों/मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेशों से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध मे टिप्पणी:-
 14. प्लान्ट संचालन हेतु पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत लगायी जाने वाली अन्य शर्तें/प्रतिबन्धः-
- स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना/संचालन के सम्बन्ध मे गठित समिति की संस्तुति:-

(क्षेत्रीय अधिकारी प्रतिनिधि)
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण
एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(जिल खान अधिकारी)
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग।

प्रशासनिक अधिकारी:
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

मोबाइल स्टोन केशर / मोबाइल स्कीनिंग प्लान्ट तथा खनिज भण्डारण की अनुज्ञा की स्वीकृति / नवीनीकरण हेतु
आवेदन पत्र का प्रारूप।

अनुसूची-5

(03 प्रतियों में)

सेवा मे.

जिला खान अधिकारी,
भूत्तव एवं खनिजकर्म इकाई,
जिला.....

महोदय,

आवेदन प्राप्ति का दिनांक.....

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाइल स्टोन केशर, मोबाइल स्कीनिंग प्लान्ट, पल्टराइजर, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अधीन मोबाइल स्टोन केशर/मोबाइल स्कीनिंग प्लान्ट तथा खनिज भण्डारण की अनुज्ञा की स्वीकृति/नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की जाय।

1- मोबाइल स्टोन केशर/मोबाइल स्कीनिंग प्लान्ट का नाम:- |

2- मोबाइल स्टोन केशर/मोबाइल स्कीनिंग प्लान्ट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):- |

पता-.....

मोबाइल नं-.....

ई-मेल आईडी-.....

3- आवेदित स्थल का विवरण -

जिला.....

तहसील.....

ग्राम.....

खसरा संख्या

क्षेत्रफल.....

4- प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घंटा) |

5- प्लान्ट परिसर में उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन मे)..... |

6- आवेदन शुल्क का विवरण :- चालान सं..... धनराशि..... दिनांक..... |

7- पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा की गयी धनराशि का विवरण.....

धनराशि..... वर्ष..... से तक |

N
प्रशासनिक अधिकारी,
भूत्तव एवं खनिजकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

- 8— अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन के सम्बन्ध में यदि कोई अर्थदण्ड अधिरोपित हो तो अधिरोपित धनराशि बकाया न होने के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति |
- 9—अवधि, जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है..... |
- 10—यदि आवेदक एक व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता |
- 11—फर्म/कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता..... |
- 12—आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति..... |
- 13—यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म /सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रति या मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति |
- 14—आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति |
- 15—आवेदक/फर्म/कम्पनी के सभी भागीदारों का स्थायी निवास प्रमाण—पत्र की प्रति..... |
- 16—यदि आवेदक भूमिधर नहीं है, तो प्रत्येक भूमिधरों की अनापत्ति का नोटराईज्ड शपथ—पत्र की प्रति |
- 17—आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति..... |
- 18—आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति..... |
- 19—आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति
- 20—आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्धसरकारी बैंक में बंधक हो, तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति.....
- 19—आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का जी0एस0टी0 नम्बर..... |
- 20—प्लांट में कच्चे माल की आपूर्ति के श्रोत के संबंध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति..... |
- मैं/हम एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक.....

आवेदक का हस्ताक्षर।

प्रशासनिक अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिजकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

हॉट मिक्स प्लांट व रेडिमिक्स प्लांट तथा खनिज भण्डारण की अनुज्ञा की स्वीकृति/नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का
प्रारूप।
अनुसूची-6

(03 प्रतियों में)

सेवा मे,

जिला खान अधिकारी,
भूत्तव एवं खनिकर्म इकाई,
जिला.....

आवेदन प्राप्ति का दिनांक.....

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, पत्वराइजर, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अधीन हॉट मिक्स प्लान्ट व रेडिमिक्स प्लान्ट तथा परिसर मे खनिज भण्डारण की अनुज्ञा की स्वीकृति/नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की जाय।

1- हॉट मिक्स प्लान्ट व रेडिमिक्स प्लान्ट का नाम:- |

2- हॉट मिक्स प्लान्ट व रेडिमिक्स प्लान्ट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):-.....

पता:-.....

मोबाईल नं0-.....

ई-मेल आईडी0-.....

3- आवेदित स्थल का विवरण -

जिला.....

तहसील.....

ग्राम.....

खसरा संख्या

क्षेत्रफल.....

4- प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घंटा)

5- प्लान्ट परिसर मे उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन मे)..... |

6- आवेदन शुल्क का विवरण :- चालान सं0..... धनराशि..... दिनांक..... |

7- पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा की गयी धनराशि का विवरण.....
धनराशि..... वर्ष..... से तक।

8-अवधि जिसके लिए प्लान्ट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है..... |

प्रशासनिक अधिकारी,
भूत्तव एवं खनिजकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

- 9— यदि आवेदक एक व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता |
- 10— फर्म/कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता..... |
- 11—आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति..... |
- 12—यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रति या मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैडिंग की स्वप्रमाणित प्रति |
- 13—आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति |
- 14—अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन के सम्बन्ध में यदि कोई अर्थदण्ड अधिरोपित हो तो अधिरोपित धनराशि बकाया न होने के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति |
- 15—आवेदक/फर्म/कम्पनी के सभी भागीदारों का स्थायी निवास प्रमाण—पत्र की प्रति..... |
- 16—यदि आवेदक भूमिधर नहीं है, तो प्रत्येक भूमिधरों की अनापत्ति का नोटराईज्ड शपथ—पत्र की प्रति |
- 17—आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति..... |
- 18—आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति.... |
- 19—आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति
- 20—आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी बैंक में बंधक हो, तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति.....
- 21—आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का जी0एस0टी० नम्बर..... |
- 22—प्लांट में कच्चे/पक्के माल की आपूर्ति के श्रोत के संबंध नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति |
- मैं/हम एतदद्वारा घोषण करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक.....

आवेदक का हस्ताक्षर।

प्रशासनिक अधिकारी,
भूतत्व एवं खणिजकर्म इकाई,
उद्योग विदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।